लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4004

19 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

मध्य प्रदेश में साड़ी उद्योग

4004. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी साड़ी उद्योग द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) क्या माहेश्वरी साड़ी द्वारा कोई विशेष योजना चलाई जा रहीं है और मध्य प्रदेश में वस्त्रों के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश के हथकरघा साड़ी उद्योग सहित पूरे देश में हथकरघा के विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
4) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपरोक्त योजनाओं के तहत, योग्य हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों, इत्यादि को कच्चे माल, करघे व सहायक सामान की खरीद, डिजाइन इनोवेशन, उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल उन्नयन, लाइटिंग यूनिट, हथकरघा उत्पादों के घरेलू और विदेशी बाजारों में विपणन और रियायती दरों पर मुद्रा ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के अलावा, मध्य प्रदेश में महेश्वरी साड़ी के हथकरघा बुनकरों के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई हैं:-

i. सात हजार से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए खरगोन जिले में एनएचडीपी के तहत दो ब्लॉक स्तरीय कलस्टरों की मंजूरी दी गई है।
ii. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 56 बुनकरों को समर्थ योजना के तहत बुनाई प्रशिक्षण दिया गया। इससे पहले 160 बुनकरों को एनएचडीपी के तहत प्रशिक्षित किया गया था।
iii. हथकरघा संवर्धन सहायता के तहत, बुनकरों को 161 उन्नत करघे और सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं।
iv. महेश्वर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के बुनकरों को उनके लाभ के लिए उपलब्ध विभिन्न हथकरघा योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए, बुनकर सेवा केंद्र, इंदौर द्वारा 07 चौपालों का आयोजन किया गया। इन चौपालों में 140 बुनकरों ने भाग लिया।
v. महेश्वर में, इंडिया हैंडलूम ब्रांड के अंतर्गत 14 संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है और 76 हैंडलूम मार्क प्रमाणपत्र बुनकरों को जारी किए गए हैं।
vi. जेम (GeM) पोर्टल के तहत 1300 से अधिक बुनकर पंजीकृत किए गए हैं।

***